"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011— वैशाख 16, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जे. महबूब जॉन आ. स्व. ए. जे. दीन, उम्र-47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6/सी, सड़क नं.-35, सेक्टर-10, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं मेरी पुत्री का नाम उसके स्कूल रिकार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र तथा मेरे मेडिकल कार्ड आदि में कु. एम. आसमिन आ. जे. महबूब जॉन भूलवश दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जिसे सुधार कर पूरा नाम व सही नाम कु. एम. अनुशा आ. जे. महबूब जॉन दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को कु. एम. अनुशा आत्मजा जे. महबूब जॉन के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. एम. आसमिन आत्मजा-जे. महबूब जॉन निवासी-क्वा. नं. 6/सी, सड़क नं.-35 सेक्टर-10 भिलाईनगर जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. एम. अनुशा आत्मजा-जे. महबूब जॉन निवासी-क्वा. नं. 6/सी, सड़क नं.-35 सेक्टर-10, भिलाईनगर जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जे. महबूब जॉन आ. स्व. ए. जे. दीन, उम्र-47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6/सी, सड़क नं.-35, सेक्टर-10, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं मेरी पुत्री का नाम उसके स्कूल रिकार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र तथा मेरे मेडिकल कार्ड आदि में कु. एम. आसफिन आ. जे. महबूब जॉन भूलवश दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जिसे सुधार कर पूरा नाम व सही नाम कु. एम. अनिखा आ. जे. महबूब जॉन दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को कु. एम. अनिखा आत्मजा जे. महबूब जॉन के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. एम. आसफिन आत्मजा-जे. महबूब जॉन निवासी-क्वा. नं. 6/सी, सड़क नं.-35 सेक्टर-10, भिलाईनगर जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. एम. अनिखा आत्मजा-जे. महबूब जॉन निवासी-क्वा. नं. 6/सी, सड़क नं.-35 सेक्टर-10, भिलाईनगर जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, धमतरी

धमतरी, दिनांक 13 अप्रैल 2011

प्रकरण क्रमांक ब/113 वर्ष 2010-11

क्रमांक 343/अ. वि. अ./वा.1/2011.— आवेदक कुंजलाल देवांगन पिता देवनारायण देवांगन निवासी ग्राम कानीडबरी तहसील व जिला धमतरी एवं अन्य 10 के द्वारा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत "श्री ठाकुर रामचन्द्र जी मंदिर एवं हनुमान मंदिर ग्राम कानीडबरी" को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 16-05-2011 को न्यायालय अवधि में रखी गई है. अत: संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित समय में आक्षेप कर सकते हैं, अवधि समाप्ति होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री ठाकुर रामचन्द्र जी मंदिर एवं हनुमान मंदिर ग्राम कानीडबरी, तहसील व जिला धमतरी.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक

3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम कानीडबरी प. ह. नं. 33, तहसील व जिला धमतरी में स्थित भूमि ख. नं. 304, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 425, रकबा 0.50, 1.75, 0.12, 0.11, 0.30, 0.12, 0.11, 0.08, 1.74 कुल ख. नं. 09 रकबा कुल 4.83 हे. एवं ख. नं. 250, 252, 275, 382, 383 रकबा क्रमश: 0.05, 0.01, 0.03, 0.09, 0.10 कुल ख. नं. 05 रकबा 0.28 हे.

धमतरी, दिनांक 20 अप्रैल 2011

प्रकरण क्रमांक 2ब/113 वर्ष 2010-11

क्रमांक /336/अ. वि. अ./वा.1/2011.— आवेदक डॉ. हीरा महावर आत्मज श्री राम रिछपाल महावर निवासी विवेकानन्द नगर धमतरी एवं अन्य छै: के द्वारा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत "श्री हिन्दू अनाथालय न्यास धमतरी" का लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 16-05-2011 को न्यायालय अवधि में रखी गई है. अत: संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित समय में आक्षेप कर सकते हैं, अवधि समाप्ति होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	डॉ. हीरा महावर हिन्दू अनाथालय न्यास, धमतरी
2.	चल संपत्ति	:	देना बैंक धमतरी में 3,46,597.76 रुपये जमा नगद राशि
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम धमतरी में पट्टा लेख द्वारा प्राप्त भूमि ब्लाक नं. 09 प्लाट नं. 5, 6, 11, 12, क्षेत्रफल 20900 वर्गफुट एवं प्लाट नं. 4,5 व 10 क्षेत्रफल 10860 वर्गफुट जिसमें मकान एवं दुकान हैं.

ए. के. शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/398.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1912 बिलासपुर, दिनांक 29-09-2007 के तहत् दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, जरहागांव, बिलासपुर पं. क्र. 3142 दिनांक 26-10-1985, विकासखण्ड-मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आई. एस. तंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 09-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/410.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/771 बिलासपुर, दिनांक 05-04-2008 के तहत् ट्रांसपोर्ट एम्पलाइज प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, जूनी लाईन , मर्यादित, बिलासपुर पं. क्र. 2720 दिनांक 15-08-1973, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/442.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2006/796 बिलासपुर, दिनांक 09-06-2006 के तहत् जय शंकर कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, उड़गन, बिलासपुर पं. क्र. 3867 दिनांक 10-03-1997, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/444.— इस कार्यालय का आदे[illegible] क्र./परिसमापन/2007/840 बिलासपुर, दि[illegible]क 10-07-2007 के तहत् कल्पना कामगार श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, सीपत, बिला[illegible]पुर पं. क्र. 106 दिनांक 27-02-2001, विकासख[illegible]-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अतर्गत परिसमापन [illegible] जाकर 70 (1) के तहत् श्री बी. [illegible]. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/461.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/839 बिलासपुर, दिनांक 10-07-2007 के तहत् धीवर मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, सीपत, बिलासपुर , पं. क्र. 3551 दिनांक 25-10-1994, विकासखण्ड-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/463.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/266 बिलासपुर, दिनांक 24-02-2007 के तहत् गुरूनानक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, बिल्हा, बिलासपुर पं. क्र. 3706 दिनांक 22-12-1995, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/परि./2011/क्यू.— कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग) के आदेश क्र./परिसमापन/2008/1030 बिलासपुर, दिनांक 15-05-2008 द्वारा गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, खमतराई, पं. क्र. 3956, दिनांक 03-08-2000 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

शोभा बन्दे,
सहकारी निरीक्षक/परिसमापक.

कार्यालय, सहकारिता विस्तार अधिकारी/परिसमापक, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

मुंगेली, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक/परि./2011/क्यू.— कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग) के आदेश क्र./परिसमापन/2007/316 बिलासपुर, दिनांक 02-03-2007 द्वारा जय दुर्गा कामगार सहकारी समिति मर्यादित, बरेला, पं. क्र. 123, दिनांक 12-11-2001 को परिसमापन में लाया जाकर आई. एस. तंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली को परिसमापक नियुक्त किया गया है. छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

आई. एस. तंवर,
सहकारिता विस्तार अधिकारी/परिसमापक.

सहकारी निरीक्षक एवं परिसापक, कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्रमांक/परि./2011/Q.— कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग के आदेश क्रमांक/परिसमापन/481 दिनांक 26-03-2010 द्वारा निम्नांकित सहकारी समितियों का सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) तहत् आर. के. ध्रुव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्रमांक	नाम
(1)	(2)
1.	जय माता दी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित नेवसा पं. क्र. 209
2.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित भरवाडीह पं. क्र. 205
3.	महामाया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित गढवट पं. क्र. 206
4.	गौड खनिज सहकारी समिति मर्यादित पासीद पं. क्र. 3792
5.	ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित श्रवण देवरी पं. क्र. 2577
6.	खनिज सहकारी समिति मर्यादित चकरभाठा पं. क्र. 3795
7.	आदर्श गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्यादित सिलपहरी पं. क्र. 3899
8.	कोटना फर्सी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित ओडगन पं. क्र. 3113

उपरोक्त समितियों का छ. ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् परिसमापक की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार लिखित में प्रमाण सहित इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में परिसमापक के समक्ष प्रस्तुत करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

आर. के. ध्रुव,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं मर्या., पथरिया, (छ. ग.)

पथरिया, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्रमांक/क्यू./2011/परिसमापन.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होने वाले किसी भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	परिसमापन समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	परिसमापक (4)	स्थान/कार्यालय (5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुण्डादेंवरी	3208	अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पथरिया.	जनपद पंचायत पथरिया/ संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोंहभट्ठा	3209	--,,--	--,,--
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटगांव	3150	--,,--	--,,--
4.	गौण खनिज सहकारी समिति मर्या., नगपुरा	3768	--,,--	--,,--
5.	जय भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति अमोरा.	202	--,,--	--,,--
6.	रेत पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., सावंतपुर	3754	--,,--	--,,--
7.	शंकर खनिज सहकारी समिति मर्या., सलका	3801	--,,--	--,,--
8.	हथनीकला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हथनीकला.	3843	--,,--	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतईडीह	3190	अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पथरिया.	जनपद पंचायत पथरिया/ संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककेंडीं	3193	--,,--	--,,--
11.	सत्संगति आदिवासी रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., मोतीमपुर.	3667	--,,--	--,,--
12.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति सरगांव.	151	--,,--	--,,--
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्द्रगढी		--,,--	--,,--
14.	ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., गोईन्द्रा	3499	--,,--	--,,--

अरूण कुमार शर्मा
परिसमापक/सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.